<u>न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा</u>

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

<u>प्रकरण संख्या : 07/2023 **FSSA**</u>

1. सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. मदन लाल गुर्जर
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

– आवेदक–

<u>बनाम</u>

1. श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह मैनेजर
   प्रबन्धक मैसर्सः–आशापुरा मल्टी पर्पज वेन्च्योर साहुपाडा रोड, मोतीपुरा सिकन्दरा दौसा निवासी माली मौहल्ला, मालाखेडा गेट राजगढ जिला अलवर।

– अभियुक्त–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

: श्री विनोद पालीवाल अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त बहस के दौरान अनुपस्थित।

<u>–: आदेश :–</u> दिनांकः– 27.01.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 18.01.2023 को दोपहर 12:39 बजे मैसर्स आशापुरा मल्टी पर्पज वेन्च्योर साहुपाडा रोड, मोतीपुरा सिकन्दरा दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय मैनेजर श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह उपस्थित मिला, जिन्होने स्वयं को उक्त फर्म का प्रबन्धक होना होना बताया। जिसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर खाद्य खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र कही रखा होना बताया एवं बाद में प्रस्तुत करने के लिये बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता की उपस्थिति में मैसर्स आशापुरा मल्टी पर्पज वेन्च्योर साहुपाडा रोड, मोतीपुरा सिकन्दरा दौसा का निरीक्षण करने पर पाया कि निर्माण ईकाई में पेकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर ओमेक्स ब्राण्ड व बिलसारी ब्राण्ड पैकिंग करते हुये पाये गये तथा निर्माण ईकाई के गोदाम में 450–450 कार्टन पेकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर ओमेक्स ब्राण्ड व बिलसारी ब्राण्ड **(Packaged Drinking Water, Omex Brand & Bilsari Brand)** प्रत्येक कार्टन में 1–1 लीटर की 12–12 बोतल सील्ड पैक रखी हुई पायी जिसमे पेकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर ओमेक्स ब्राण्ड की कार्टन खोलकर 1 बोतल का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा होने पर विक्रेता को फार्म 5 ए की सूचना देते हुये विक्रेता व गवाहान के फॉर्म 5 ए पर हस्ताक्षर करवाते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा फार्म 5 ए की एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताया कि यह पेकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर **(Packaged Drinking Water Omex Brand)** को वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है। पॉलीथीन के कार्टन पैकेट 12–12 बोतल के दो कार्टन को खोलकर साफ प्रिन्टेड 16 पैक पानी की **Omex Brand** का चयन कर ज्यों का त्यों वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से 185/–(अक्षरे एक सौ पिच्चासी रूपये) नकद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा पेकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर **(Packaged Drinking Water Omex Brand)** 1–1 लीटर की 4 बोतल का एक भाग बनाया एवं उसी प्रकार अन्य शेष तीन भाग बनाकर नियमानुसार चार नमूना तैयार किये। चारो नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक, स्थान व लिये गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक **AG-3153** अंकित किया तथा प्रत्येक लेबल पर विक्रेता श्री योगेन्द्र सिंह तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. **AG-3153** को नियमानुसार चारो नमूना भाग पर नीचे से उपर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:01:41 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूने का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाने हेतु तैयार किये तथा डी. ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाया। डी. ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने श्री महादेव प्रसाद सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय सीएमएचओ दौसा को दिनांक 19.01.2023 को श्रीमान खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर को तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाने हेतु भेजा गया एवं नमूना जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 18.01.2023 को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक अलवर से उक्त खाद्य पदार्थ पेकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर **(Packaged Drinking Water Omex Brand)** की जॉच रिपोर्ट संख्या एल. एस. /61/एक्ट/2023/83 दिनांक 30.01.2023 प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ पेकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर **(Packaged Drinking Water Omex Brand)** एफएसएसए की धारा **3(1)(zf)(c)(i)** का उल्लंघन करने के कारण मिथ्याछाप **(Mis Branded)** एवं खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम विनियम नं. 5(3) **&** 5(10) के उल्लंघन के कारण कान्ट्रावेन **(Contravene)** स्तर का भी पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद पालीवाल उपस्थित आये किन्तु ना ही अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ना ही बहस के दौरान उपस्थित हुये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./61/एक्ट/2023/83 दिनांक 30.01.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पेकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर **(Packaged Drinking Water Omex Brand)** के लेबल के नमूने पर **Ingredients-Not Labelled, USE BY/EXPIRY-Not Labelled, Nutritional Information-Not Labelled** होने से उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **FSS&S Act 2006** के सेक्शन **3(1)(z)(f)(c)(i)** के अन्तर्गत मिसब्राण्ड **(Misbrand)** पाया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम विनियम नं. 5(3) **&** 5(10) के उल्लंघन के कारण कान्ट्रावेन **(Contravene)** स्तर का भी पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड **(Misbrand)** एवं कान्ट्रावेन **(Contravene)** के खाद्य पदार्थ पेकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर **(Packaged Drinking Water Omex Brand)** का विक्रय कर एफएसएसए की धारा 26 की उप धारा (2) **(II)** का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 52 व 58 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.03.03 11:01:41 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या :07 / 2023 FSSA

खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./61/एक्ट/2023/83 दिनांक 30.01.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पेकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर **(Packaged Drinking Water Omex Brand)** का नमूना एफएसएसए की धारा **3(1)(zf)(c)(i)** का उल्लंघन करने के कारण मिथ्याछाप **(Mis Branded)** एवं खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम विनियम नं. 5(3) **&** 5(10) के उल्लंघन के कारण कान्ट्रावेन **(Contravene)** स्तर का भी पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा मिथ्याछाप **(Mis Branded)** एवं कान्ट्रावेन **(Contravene)** स्तर के खाद्य पदार्थ का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उप धारा (2) (**II**) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 52 व 58 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड **(Misbrand)** एवं कान्ट्रावेन **(Contravene)** स्तर के खाद्य पदार्थ पेकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर **(Packaged Drinking Water Omex Brand)** का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह मैनेजर प्रबन्धक मैसर्सः–आशापुरा मल्टी पर्पज वेन्च्योर साहुपाडा रोड, मोतीपुरा सिकन्दरा दौसा निवासी माली मौहल्ला, मालाखेडा गेट राजगढ जिला अलवर पर 3,00,000/– (अक्षरे तीन लाख रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 27.01.2025 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)** के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक / FSSA/ 2025 / दिनांकः– .01.2025

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह मैनेजर
   प्रबन्धक मैसर्सः–आशापुरा मल्टी पर्पज वेन्च्योर साहुपाडा रोड, मोतीपुरा सिकन्दरा दौसा निवासी माली मौहल्ला, मालाखेडा गेट राजगढ जिला अलवर।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:01:41 IST
Reason: SelfAttested